

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम -I व II, हिसार।
2. उप श्रम आयुक्त, सर्कल-1, गुरुग्राम, हिसार तथा फरीदाबाद।
3. उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, गुरुग्राम
4. सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य-कम-सर्टिफाइंग सर्जन, हिसार।
5. लेखा अधिकारी (मुख्यालय)।

क्रमांक: स्था0/03/2019/ 15033-41

दिनांक: 24-5-19

विशय: अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चालकों की सेवा अवधि बढ़ाने बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के यादि क्रमांक 3/38/2013-3 श्रम दिनांक 24.05.2019 के संदर्भ में ।

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चालकों की सेवा अवधि दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक बढ़ाने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चालकों की दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 के वेतन की अदायगी चालू वित्त वर्ष में करने का कष्ट करें । अनुबन्ध आधारित चालकों के नाम निम्न प्रकार से हैं:-

Sr. No.	Name Sarv/Shri/Ms.	Designation	Place of posting	Appointment date	Extended period from 01.01.2019 to 30.06.2019
1	Karambir	Driver	DD, IS&H, Gurgaon-I	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
2	Satish Kumar	Driver	DLC, Faridabad	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
3	Narender Kumar	Driver	H.Q.	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
4	Pawan Kumar	Driver	DD(IH), Gurugram-2	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
5	Mahender Kumar	Driver	DLC, Hisar	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
6	Sanjay Kumar	Driver	DD, IS&H, Gurgaon-II	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
7	Tejvir Singh	Driver	DLC-1, Gurugram	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
8	Anil Kalia	Driver	DD, IS&H, Hisar	18.02.2013	01.01.2019 to 30.06.2019
9	Subhash Chand	Driver	AD, IH-cum-C.S., Hisar	14.08.2013	01.01.2019 to 30.06.2019


अधीक्षक(स्था0)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था0/3/2019/

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. Treasury Officer, Chandigarh, Faridabad, Hissar & Gurugram.
3. Concerned Driver.


अधीक्षक(स्था0)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।